सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित एवं सहायतार्थ पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल द्वारा 32वीं पेंशन अदालत का आयोजन।

21 जुलाई 2015 को पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय के सभागार कक्ष में मण्डल रेल प्रबन्धक श्री आलोक सिंह की अध्यक्षता में 32वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस पेंशन अदालत में कुल 88 भूतपूर्व कर्मचारियों/आश्रितों के प्रतिवेदन प्राप्त हुए जिनमें 71 आवेदकों के दावे जॉच के उपरांत सही पाए गए तथा उन्हें या उनके आश्रितों को कुल रु 29,56,375/– की धनराशि का भुगतान किया गया एवं 56 भूतपूर्व कर्मचारियों/आश्रितों के पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किए गए तथा संबंधित बैंक को सही भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया । प्राप्त आवेदनों में 08 पेंशनरी लाभ से संबंधित नहीं पाये गए अथवा पार्टी एकाउण्ट पर लम्बित थे, फिर भी उनकी समीक्षा करके भूतपूर्व कर्मचारियों/आश्रितों को उत्तर दिए गए। इसके अतिरिक्त 17 मामलों में दावा मान्य नही पाया गया।

मण्डल रेल प्रबन्धक श्री आलोक सिंह ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे का लखनऊ मण्डल अपने सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के प्रति सतत् जागरुक है एवं उनके समापक भुगतान को समय से कराने हेतु प्रतिबद्ध है । सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मियों को अन्तिम दिन समापक धनराशि का भुगतान करा दिया जाता है ।

इस अवसर पर वरिष्ठ मण्डल वित्त प्रबन्धक अरविन्द शर्मा, मण्डल कार्मिक अधिकारी एम.के. पाण्डेय, जन संपर्क अधिकारी आलोक श्रीवास्तव, नरमू यूनियन के मण्डल मंत्री अजय वर्मा, बैंक व पोस्ट आफिस के अधिकारियों के साथ–साथ पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे । कार्यक्रम के प्रारंभ में वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी पी.बी.प्रसाद ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा प्रत्येक मामले की समीक्षा प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंत में मण्डल वित्त प्रबंधक जे.के.सिंह ने वहॉ उपस्थित लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया।